खरीद पद्धति

PURCHASE PROCEDURE

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.

Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001

E-mail: co.stc.@nic.in • Website: www.stc.gov.in

खरीद पद्धति

आमुख

एस टी सी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यालय और अपने स्वामित्व की सम्पत्तियों हेतु संविदा पर सेवाएँ प्राप्त करने के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में सामग्रियों की खरीद करता है। एस टी सी की प्रापण गतिविधियों को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है जो माल और सामग्रियों की खरीद और सेवाओं को किराए पर लेना है। प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और प्रतियोगी दरों पर माल और सेवाओं की खरीद और तीव्रता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विगत कुछ समय से एस टी सी हेतु एक व्यापक खरीद नीति तैयार करने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था। वर्तमान कवायद उक्त आवश्यकता के प्रत्युत्तर में है। नीति को तैयार करते समय अद्यतन सीवीसी मार्गनिर्देशों का भी ध्यान रखा गया है ताकि एस टी सी द्वारा तैयार की जाने वाली नीति सी वी सी द्वारा परिचारित निर्धारित नीति मार्गनिर्देशों के अनुरूप हो। नीति को सरल बनाने का भी प्रयास किया गया है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके कि नीति का उपयुक्त रूप से कार्यान्वयन हो तथा नीति में निर्धारित की गयी प(तियों के अनुसरण द्वारा अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके।

२.१ एस टी सी द्वारा प्रापण किए जाने वाले माल और सामग्रियों को निम्नलिखित रूप में चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

समूह 1	मशीनें, सहायक सामग्री, कलपुर्जे, फर्नीचर जैसी सामग्री और अन्य इस प्रकार की मदें जो आवश्यकता के अनुसार खरीदी जाती हैं।
समूह २	प्रोपराइटरी मदें या ओ ई एम (मूल उपकरण निर्माता) या ओ ई एस (मूल उपकरण आपूर्तिकर्ता) या एक विशेष ब्राँड की मदें या किसी सरकारी एजेंसी से (निदेशक के अनुमोदन सहित) नियत खरीद।
समूह ३	लेखन-सामग्री जैसी मदें जो नियमित रूप से खरीदी जाती हैं।
समूह ४	लघु उपभोग्य जैसे साबुन, प्रक्षालक आदि।

उपर्युक्त सूची में मुद्रित लेखन-सामग्री, अन्य मुद्रित सामग्री आदि शामिल नहीं हैं जो एस टी सी द्वारा प्रापण की जाने वाली सेवाओं के शीर्ष के अधीन अलग से कवर की जाती हैं।

२.२ समूह 1 की मदों हेतु सभी खरीद एस टी सी में और एनआईसी वेब साइट्स पर विज्ञापन के माध्यम से की जाएंगी। एस टी सी यह दर्शाते हुए समाचार पत्रों में आवधिक रूप से विज्ञापन भी प्रकाशित करेगा कि एस टी सी वेब साइट विज्ञापनों के माध्यम से सामग्री की खरीद करता है और यदि आपूर्तिकर्ता उत्तर देने के इच्छुक हैं तो उन्हें एस टी सी और एन आई सी की वेब साइट देखनी चाहिए। कुछ मामलों में वेब साइट में जारी किये गए विज्ञापन का संक्षिप्त विवरण भी समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा यदि निविदा का मूल्य रूपए २ लाख से अधिक है। सभी विज्ञापनों की प्रतियाँ भी एस टी सी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएंगी। पार्टियों को संबंधित निदेशक के स्वविवेक पर निविदाओं को २ भागों में -तकनीकी निविदा और कीमत निविदा के रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी जा सकती है जिसमें बाद की निविदा तभी खोली जाएगी यदि पार्टी तकनीकी निविदा के योग्यता मानदण्ड को पूरा करती है। तथापि, दो भाग वाली निविदा से बचा भी जा सकता है यदि खरीदे जाने वाली सामग्री मानक है और विज्ञापन में ही उपयुक्त तकनीकी विनिर्देशन उपलब्ध करा दिए जाते हैं। प्राप्त किए गए उत्तरों को संबंधित निदेशक द्वारा नियुक्त की गयी एक निविदा समिति के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा जो तकनीकी विनिर्देशन और कीमत निविदाओं का अवलोकन करेंगे तथा एलआई पार्टी का चयन करेंगे और एलआई पार्टी के साथ उपयुक्त वार्ता के पश्चात खरीद की सिफारिश करेंगे। एलआई के अलावा किसी अन्य पार्टी से कोई बातचीत नहीं की जाएगी।

२.३ कुछ मदों जैसे विशेष निर्माण के ए।सी।, रेफ्रिजेरेटर्स, टी।वी। आदि की खरीद हेतु जो समूह २ के अंतर्गत आते हैं, खरीद निर्माता या प्राधिकृत वितरक से की जाएगी। तथापि, ब्राँड की मदों की खरीद तभी की जाएगी जब किसी ब्राँड की मद के प्रापण हेतु मांग के लिए संबंधित निदेशक, निदेशक (वित्त) का भी अनुमोदन लिया जाता है जिसके द्वारा मांग आती है। खरीद एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी जिसमें प्रयोक्ता विभाग, प्रशासन में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि और वित्त का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। समिति जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत डीलर / निर्माता के साथ छूट, वारंटी, बाई-बैक आदि जैसे मुद्दों को कवर करते हुए खरीद की शर्तों पर भी बातचीत करेगी।

२.४. वे सब मदें जो समूह III और समूह IV के अंतर्गत आती हैं, उनकी खरीद सामान्यतया उन पंजीकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी जो एस टी सी द्वारा नियमित अन्तराल पर (सामान्यतया 1 वर्ष) एस टी सी के पैनल में पंजीकृत होंगे। पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को पैनल में लेने का कार्य एस टी सी और एनआईसी वेब साइट्स में जारी किए गए एक विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा। पैनल में लेने की पद्धति में समूह III और समूह IV के

अधीन कवर की गयी मदों हेतु विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए विज्ञापन के माध्यम से ऑफर्स आमंत्रित करना,एक प्रेस विज्ञापन देना शामिल होगा जो वेब साइट में जारी किए गए विज्ञापन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएगा। वेब साइट विज्ञापन की एक प्रति कम्पनी के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। पार्टियों से प्राप्त उत्तरों और उत्पादों की गुणवत्ता के विश्लेषण की तुलना में, विभिन्न मदों हेतु पार्टियों द्वारा उद्धरित कीमतों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने का कार्य ३ अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निदेशक (पी एंड ए)द्वारा नामांकित वित्त से एक अधिकारी शामिल होगा। सूचीबद्ध किए गए आपूर्तिकर्ता समूह III और समूह IV की मदों हेतु खरीद के स्रोत होंगे। उनसे विभिन्न मदों के नमूनों/विनि निर्देशों के अनुसार जांच के माध्यम से निविदाएँ प्राप्त करने के लिए और एक विशिष्ट अवधि हेतु एक दर संविदा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उन मदों सहित जिनका वेब साइट विज्ञापन में विशेष रूप से नाम नहीं लिया जाता है किन्तु जो समूह III और समूह IV द्वारा कवर की जाती हैं,उनकी खरीद पंजीकृत विक्रेताओं से आमंत्रित सीमित निविदा के माध्यम से की जाएगी। सभी मदों हेतु दरें तुलना हेतु केन्द्रीय भंडार से भी प्राप्त की जाएंगी। किसी मामले में यदि सूचीबद्ध किए गए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्धरित दरें केन्द्रीय भण्डार से कम हैं तो आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश दिए जाएंगे अन्यथा खरीद केन्द्रीय भंडार से की जाएगी।

२.५. दर संविदा के मामले में यदि आपूर्तिकर्ता एक निर्धारित समयावधि के भीतर आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है या उद्धरित दरों अथवा विनिर्देशनों के अनुसार मदों की आपूर्ति से इंकार करता है तो आपूर्तिकर्ता को सूची से हटा दिया जाएगा तथा सामग्री प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय भंडार से या ई-मेल विज्ञप्तियों/प्रत्यक्ष इनक्वायरी के माध्यम से अन्य पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आफर्स के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में निर्णय प्रापण हेतु अत्यावश्यकता,सामग्री के मूल्य आदि को ध्यान में रखते हुए कार्पोरेट कार्यालय में महा प्रबंधक के स्तर के एक अधिकारी या शाखाओं में शाखा प्रबंधक द्वारा लिया जाएगा।

२.६. यदि मद संविदा की वैधता समाप्त हो जाती है तो पंजीकृत विक्रेताओं को नई निविदाएँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और नयी दर संविदा पैरा २.४ में प्रदत्त के अनुसार पद्धति के अनुरूप की जाएगी।

२.७. मांग पर निर्भर रहते हुए विभागाध्यक्ष (महाप्रबंधक/मुख्य महा प्रबंधक के स्तर का) नगद खरीद के माध्यम से किसी सामग्री का प्रापण कर सकता है। तथापि, इस प्रकार की खरीद निम्नतर मूल्य (अधिकतम रूपए १०००) की मदों हेतु होगी।

२.८. यदि अत्यावश्यकता के मामले में या अनियमित मदों की खरीद हेतु एक बड़े मूल्य की मद की नगद खरीद करना आवश्यक हो जाता है तो ऐसा करने के लिए प्रस्ताव हेतु निदेशक (पी/टी) और निदेशक (वित्त) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जो ३ अधिकारियों की एक समिति की संरचना करेंगे जिनमें खरीद करने हेतु वित्त से एक अधिकारी शामिल होगा।

३. पूँजीगत मदों की खरीद

पूँजीगत मदों की खरीद हेतु उसी पद्धति का पालन किया जाएगा जो समूह 1 के अधीन सामग्रियों की खरीद हेतु दर्शायी गयी है।

४. सेवाओं का प्रापण

सामग्रियों की खरीद के अतिरिक्त एस टी सी आन्तरिक साज-सज्जा, बढ़ईगिरी (कारपेंटरी), नलसाज़ी (प्लम्बिंग), मुद्रण, बागबानी, विद्युत कार्य आदि जैसी विभिन्न सेवाओं का प्रापण भी करता है। तथापि, इस प्रकार की कुछ मदें एक निश्चित अवधि हेतु संविदा की जा सकती हैं और इस प्रकार का संविदा कार्य वेब साइट विज्ञापन और समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। तथापि, ऐसी कुछ मदें होंगी जिनके लिए कार्य की निम्नतर मात्रा, अनावर्तित कार्य या सामान्यत कार्य के कारण दीर्घावधि संविदाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं या दीर्घावधि सेवा प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। इस प्रकार के कार्य हेतु एक दीर्घावधि संविदा प्रदान करने की बजाय यह उपयुक्त होगा कि पैनल के उन ठेकेदारों में से एक ठेकेदार का चयन किया जाए और उन ठेकेदारों से प्राप्त प्रत्येक कार्य की निविदाओं के आधार पर संविदा प्रदान की जाए जो विशिष्ट कार्य हेतु पंजीकृत हैं। इसलिए उन सभी कार्यो को छोड़कर कम्पनी में ठेकेदारों के माध्यम किए जाते हैं जिनके लिए दीर्घावधि संविदा प्रदान की जाती है, विशिष्ट कार्यों हेतु ठेकेदारों को पैनल में लेने हेतु वेब साइट विज्ञापन आवधिक रूप से जारी किए जाएंगे। इस प्रकार की सूचीबद्धता कार्मिक और प्रशासन के प्रभारी निदेशक द्वारा नियुक्त की गयी समिति द्वारा ठेकेदार के कार्य संबंधी ब्यौरे के मूल्यांकन के पश्चात की जाएगी। समय-समय पर किए जाने वाले कार्यों हेतु सूचीबद्ध ठेकेदारों को निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जो यदि संबंधित निदेशक द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो दो भागों में तकनीकी निविदा और कीमत निविदा के रूप में होगी। यदि ठेकेदार तकनीकी निविदा में सफल होता है तो कीमत निविदा के रूप में होगी। यदि ठेकेदार तकनीकी निविदा में सफल होता है तो कीमत निविदा खोली जाएगी और कार्य सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी कार्यों हेतु दो भाग

वाली निविदा आवश्यक नहीं होगी। इस प्रकार की निविदाएं केवल उन्हीं कार्यो हेतु करने के लिए जोर दिया जाएगा जो सदृश नहीं हैं या विशेष प्रकार की हैं जिनमें ऑफर्स की उपयुक्त तुलना हेतु और अपेक्षित मानदण्ड के अनुसार कार्य को करने के लिए ठेकेदार की क्षमता के आकलन हेतु दो भागों वाले निविदा की आवश्यकता पड़ती है।

५. दीर्घावधि संविदा

रखरखाव, निर्माण, सुरक्षा या सेवाओं आदि हेतु दीर्घावधि संविदाएं वेबसाइट विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करने के द्वारा प्रदान की जाएंगी जिनके साथ-साथ एक संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और कम्पनी के सूचनापट्ट में विज्ञापन की प्रतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। विज्ञापन जारी करते समय संबंधित निदेशक यदि आवश्यक हो तो दो निविदा प्रणाली में निविदाएं आमंत्रित करने का निर्देश दे सकता है। विज्ञापन को जारी करना और संविदा प्रदान करना इस विषय पर उपलब्ध संविधि और मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

६. निविदा समितियाँ

ऊपर उल्लेखित सभी खरीद निविदा समितियों के माध्यम से आगे बढ़ायी जाएंगी। प्रत्येक निविदा समिति में वित्त का एक प्रतिनिधि और खरीद विभाग से एक प्रतिनिधि शामिल होगा। तथापि, समूह 1 की मदों हेतु निविदा समिति में ३ सदस्य होंगे और इस प्रकार की समिति का प्रत्येक सदस्य निदेशक (पी एंड ए) द्वारा नामंकित किया जाएगा। समूह II की मदों हेतु निविदा समिति में २ सदस्य होंगे जिनमें एक खरीद विभाग से होगा और दूसरा वित्त विभाग से होगा, निदेशक (पी एंड ए) द्वारा जैसा भी नामांकित किया जाता है। समूह III और IV के अधीन मदों की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं की सूचीबद्धता हेतु निविदा समिति में पुनः ३ सदस्य होंगे तथा निविदा समिति के सदस्य निदेशक (पी एंड ए) द्वारा नामांकित किए जाएंगे। ऊपर पैरा २।७ में दर्शाए गए के अनुसार उपभोग्य और लघु मदों की प्रत्यक्ष खरीद हेतु समिति में महा प्रबंधक (प्रशासन) द्वारा नियुक्त किये जाने वाले २ सदस्य होंगे।

उपर्युक्त पैरा ४ में दर्शाए गए के अनुसार सेवाएं प्रदान करने हेतु और दीर्घावधि संविदा के चयन हेतु पार्टियों की सूचीबद्धता के संबंध में निविदा समिति निदेशक (पी एंड ए) द्वारा नियुक्त की जाएगी।

७. शक्तियों का प्रत्यायोजन

पूँजीगत मदों सहित सभी खरीद शक्तियों के प्रत्यायोजन/एस टी सी के नियमों में निर्धारित के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएंगी।

८. पद्धतियों में परिवर्तन

एस टी सी में सभी खरीद इन नियमों में निर्धारित की गई खरीद पद्धतियों के अनुसरण में की जाएंगी। तथापि, नियमों में उल्लेख न की गई किसी विशिष्ट मद की खरीद हेतु यदि इन नियमों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है तो सी ओ एम का अनुमोदन आवश्यक होगा। कुछ न बची जा सकने वाली खरीदों हेतु जिन्हें निदेशक के अनुमोदन से किया जा सकता है, सी ओ एम का कार्योत्तर अनुमोदन आवश्यक होगा।

९. शाखाओं में अपनायी जाने वाली पद्धति

इन नियमों में निर्धारित की गई खरीद पद्धतियों का शाखाओं में भी अनुसरण किया जाएगा। तथापि, निविदा समिति का नामांकन करने हेतु निदेशक (कार्मिक) या महा प्रबंधक (प्रशासन) द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्राधिकार का शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रयोग किया जाएगा यदि सम्पूर्ण वित्त वर्ष में किसी मद हेतु रूपए ५०,०००/- के मूल्य की खरीद की जाती है और खरीद विशेष रूप से शाखा हेतु की गई हो। आगे, खरीद का अनमोदन कम्पनी के शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों में निर्धारित की गई प्रत्यायोजन शक्तियों के अधीन होगा।

१०. सामान्य

१०.१ रूपए २ लाख या इससे ऊपर की लागत की सभी निविदाओं हेतु नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से सारांश (सिनोप्सिस) प्रकाशित कराने के अतिरिक्त एस टी सी / एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु भेजा जाएगा। रूपए २ लाख की राशि से कम की लागत की सभी निविदाओं हेतु नोटिस प्रकाशन हेतु केवल वेब साइट में ही भेजा जाएगा।

१०.२ वेब साइट/समाचारपत्र में निविदा नोटिस के प्रकाशन की तारीख और निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के मध्य न्यूनतम रूप से १० दिनों का सामयिक अन्तराल होगा।

११. लागू होने की तारीख

ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

एनबीः २३।९।२००५ को हुई सीओएम की बैठक संख्या २४७ में अनुमोदित।